संख्या- 11 /2024/984 /014-9-7099-149-2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद आगरा/लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास योजना के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/2044/001-9-7099-149-2023 दिनांक 06-10-2023 एवं 23-2023/2296/003-09-7099-149-2023, दिनांक 02-11-2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास योजना के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत नगर पंचायत खेरागढ, आगरा एवं नगर पंचायत इटौंजा, लखनऊ को संबंधित अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **कुल ₹28.79 लाख (₹अठ्ठाइस लाख उन्यासी हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया निम्नलिखित विवरण, शर्तों, प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

(धनराशि ₹लाख में)

क्रसं	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक , जिनके द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है ,	शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	शासनादेश द्वारा अवमुक्त प्रथम किस्त की धनराशि	द्वितीय/ अन्तिम किस्त की धनराशि
1	2	3	4			
1	आगरा	नगर पंचायत खेरागढ	संख्या-21/2023/2044/001-9-7099-149-2023 दिनांक 06-10-2023	28.79	14.395	14.395
2	लखनऊ	नगर पंचायत इटौंजा	संख्या– 23-2023/2296/003-09-7099-149-2023, दिनांक 02-11-2023	28.79	14.395	14.395
		कुल योग		57.58	28.79	28.79

(₹अठ्ठाइस लाख उन्यासी हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) शासनादेश संख्या-21/2023/2044/001-9-7099-149-2023 दिनांक 06-10-2023 एवं 23-2023/2296/003-09-7099-149-2023, दिनांक 02-11-2023 द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन संबंधित नागर निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) धनराशि ₹25.00 लाख तक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) नगर पंचायत/नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के अवर अभियन्ता स्तर से तथा धनराशि ₹25.00 लाख के अधिक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के सहायक अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(3) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,79,000 (रुपये अट्ठाईस लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2235608000300 शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 29-03-2024 15:09:35
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

संख्या- 11/2024/ 984(1) /014-9-7099-149-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, आगरा/लखनऊ ।
3. कोषाधिकारी, आगरा/लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर निकाय।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

(2) धनराशि ₹25.00 लाख तक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) नगर पंचायत/नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के अवर अभियन्ता स्तर से तथा धनराशि ₹25.00 लाख के अधिक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के सहायक अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(3) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,79,000 (रुपये अट्ठाईस लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2235608000300 शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

संख्या- 11/2024/ 984(1) /014-9-7099-149-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, आगरा/लखनऊ ।
3. कोषाधिकारी, आगरा/लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर निकाय।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से

Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 29-03-2024 15:07:38
Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।